8. सैक्टर जू–1 में 200 वर्गमी एवं सेक्टर जू–2/3 में 120 वर्गमी0 का मानचित्र आडिटोरियम में चस्पा किये जाने हेतु वरिष्ठ प्रबन्धक– नियोजन को नामित किया जाता है । (नियोजन विभाग)

उक्त आदेश अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 16.03.2022 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं ।

Signed by
Rakesh Kumar Dev
General Manager
19/03/22 12:44:25

(आर0 के0 देव)
महाप्रबन्धक– सम्पत्ति

प्रतिलिपि –

स्टाफ आफिसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी–डी0 महोदय के सूचनार्थ ।

Scanned with CamScanner

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पत्रांक–सम्पत्ति / बीएचएस–18–एलओएच–01 / ड्रॉ / 193 दिनांक– 19 मार्च, 2022

वरिष्ठ प्रबन्धक–नियोजन / एसेट
उप महा **प्रबन्धक– सिस्टम / संस्थागत**
निरीक्षक, पुलिस ।

बी0एच0एस0–18 / LOH 01 / ड्रॉ की सूचना

बी0एच0एस0–18 / LOH 01 / योजना प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.11.2021 को प्रकाशित की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत सैक्टर जू–1 में 200 वर्गमी, सैक्टर जू–2 में 120 वर्गमी0 के भवनों का ड्रॉ मैनुअल लॉटरी के माध्यम से दिनांक 22.03.2022 को प्रातः 11.00 बजे एवं सेक्टर जू–3 में 120 वर्गमी0 के भवनों का ड्रॉ मैनुअल लॉटरी के माध्यम से दिनांक 23.03.2022 को प्रातः 11.00 बजे प्राधिकरण कार्यालय के भूतल पर स्थित आडिटोरियम में सम्पन्न किये जाने हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 16.03.2022 द्वारा निम्नवत् अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है –

1. आवासीय भवनों की योजना बी0एच0एस0–18 / LOH 01 / के अन्तर्गत सैक्टर जू–1 में 200 वर्गमी एवं सेक्टर जू–2 / 3 में 120 वर्गमी0 के आवेदनकर्ताओं की सूची एवं ड्रॉ की सूचना दिनांक 21.03.2022 तक प्राधिकरण की वैबसाइट www.greaternoidaauthority.in पर अपलोड किये जाने का कार्य प्रबन्धक – 2 (सिस्टम) द्वारा किया जायेगा । (सिस्टम विभाग)
2. ड्रॉ के समय मंच संचालन / ड्रॉ की पर्चियां की उद्घोषणा के लिए प्रोफेशनल उद्घोषक को बुलाये जाने का कार्य हेतु वरिष्ठ प्रबन्धक–एसेट द्वारा किया जायेगा । (एसेट विभाग)
3. ड्रॉ से संबंधित समस्त व्यवस्था जैसे– सिलेन्ड्रिकल ड्रम, आवेदक के फार्म प्रदर्शित किये जाने हेतु 2 बड़ी स्क्रीन, स्टेशनरी (1/2 साइज स्लिप्स / ड्रॉ की वीडियोग्राफी / फोटेग्राफी / 1/4 साइज लिफाफे / स्टैपलर, पिन /गम, मार्कर, स्कैच पैन, यू क्लिप, फलैग, 1/4 पेपर रिम, पैन /नोट बुक, रबड बैण्ड / स्केल व जलपान की व्यवस्था तथा स्कूल के बच्चों को गिफ्ट व उनके जलपान की व्यवस्था प्रबन्धक– एसेट द्वारा की जायेगी । (एसेट विभाग)
4. ड्रॉ से संबंधित आबंटियों की स्लिप व रिक्त भवनों की स्लिप को बनाये जाने का कार्य प्रबन्धक –2 सिस्टम द्वारा किया जायेगा । (सिस्टम विभाग)
5. ड्रॉ की सूची वेबसाइट पर चस्पा किये जाने का कार्य प्रबन्धक –2 सिस्टम द्वारा किया जायेगा । (सिस्टम विभाग)
6. ड्रॉ के समय ड्रॉ में पर्चियों को निकलवाने का कार्य स्कूली बच्चों जिनकी आयु 12 से 14 वर्ष तक का हो, के माध्यम से किया जायेगा तथा ग्रेटर नौएडा के किन्ही 2 स्कूलों से समन्वय स्थापित करके निर्धारित तिथि में बच्चों को उपस्थित कराने हेतु प्रबन्धक–2 संस्थागत को नामित किया जाता है ।(संस्थागत विभाग)
7. ड्रॉ के समय शान्ति व्यवस्था पुलिस निरीक्षक, ग्रेटर नौएडा द्वारा देखी जायेगी ।

Scanned with CamScanner